कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@nic.in, website-www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 10 / वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक 30/ 6 / 2026

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. विभाग,
महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर

विषय– **विधानसभा प्रश्न क्रमांक 805 तारांकित द्वारा श्री द्धारिकाधीश यादव, सदस्य विधानसभा हस्तांतरण कराने के संबंध में।**

कृपया विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न क्रमांक **805 तारांकित द्वारा श्री द्धारिकाधीश यादव,** सदस्य विधानसभा प्रश्न इस विभाग से संबंधित नही है। अतः उपरोक्त प्रश्न खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग को हस्तांतरित/स्थानांतरित करने का कष्ट करें।
(संचालक द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
संचालनालय, नया रायपुर

छत्तीसगढ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **10/07/2026**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **17/07/2026** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **छत्तीसगढ़ के विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट एवं मिठाई दुकान की जांच**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **805**) **श्रीद्वारिकाधीश यादव**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी, 2025 से 20 जून, 2026 तक विभिन्न होटलों ,रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों सहित अन्य संस्थानों पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कितनी बार की गयी ? जिलावार बतायें ? उक्तावधि में कितने प्रकरणों में खाद्य नमूने अमानक स्तर के पाए गए और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? प्रकरणवार, जिलावार बताएं ? (ख) क्या विभाग/ शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि खाद्य पदार्थों के विक्रय करते समय डिब्बों, पैकेट, कंटेनर का वजन खाद्य पदार्थों के वजन में शामिल कर उपभोक्ता को आर्थिक हानि पहुंचाई जाती है ? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है ?

उत्तर :

खाद्य सुरक्षा विभाग से संबंधित